

क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम: जननी बाल सुरक्षा योजना

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): संस्थागत प्रसव-ग्रामीण

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): A.1.4.2.a

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वांछित कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान इस कार्यक्रम में किया गया है। यह राशि केवल ग्रामीण क्षेत्र के गर्भवती महिलाओं को दिया जाएगा।

इकाई राशि (रु० में) :1400/-

वित्तीय दिशा निर्देश :

संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश-

कार्य	लाभार्थी (गर्भवती महिला) ग्रामीण क्षेत्र
गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन	
प्रसव पूर्व जाँच 1	
प्रसव पूर्व जाँच 2	300 रु०/-
प्रसव पूर्व जाँच 3	
आई० एफ० ए० 1	
आई० एफ० ए० 2	300 रु०/-
आई० एफ० ए० 3	
टी० टी० 1	
टी० टी० 2	100 रु०/-
कुल	700 रु०/-
संस्थागत प्रसव	
बी०सी०जी० टीकाकरण	700 रु०/-
कुल	1400 रु०/-

नोट : -

1 गर्भवती महिला का संस्थागत प्रसव के पश्चात एक मुश्त भुगतान देय होगा। गर्भवती महिला के प्रसव पूर्व जाँच, आइ.एफ.ए. तथा टी.टी का सत्यापन जच्चा-बच्चा रक्षा कार्ड/ मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड पर अंकित सूचनाओं के आधार पर होगी तथा मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड पर सूचनाओं को अंकित करने की जवाबदेही आशा की होगी। यदि कोई ऐसी महिला जिसके पास कार्ड है परंतु टीकाकरण से संबंधित तिथि अंकित नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में Maternal Child Tracking System व्यवस्था के आंकड़ों से इसका सत्यापन कर लिया जाए कि उस महिला को प्रसव पूर्व सेवाएँ दी गयी हैं या नहीं। यदि उस महिला का कोई भी तथ्य नहीं है तो इसका सत्यापन ए.एन.एम./स्वास्थ्य कार्यकर्ता के हस्ताक्षर से किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में वो प्रसूति महिलाएँ जिन्होंने उपर्युक्त सभी जांच करवा ली है और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कमी के कारण उन्हें भुगतान नहीं किया जाता है तो यह जननी बाल सुरक्षा योजना के संवर्द्धन हेतु उचित नहीं है।

प्रायः यह देखा जाता है कि प्रोत्साहन राशि का ससमय भुगतान नहीं होने के कारण संस्थागत प्रसवों में भी कमी होती है। इसलिए सभी स्वास्थ्य संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रसूति महिलाओं को अस्पताल छोड़ने से पहले प्रोत्साहन राशि का भुगतान सुनिश्चित कर लिया जाए।

(S Kumar)

for for

(गर्भवती महिला द्वारा प्रसव पूर्व जाँच, टी.टी., आई.एफ.ए. यदि सरकारी अस्पतालों के अलावा अन्य जगहों से सलाह/क्रय कर उपयोग किया गया है, उसकी भी मान्यता दी जाएगी)

2. गर्भवती महिलाओं को उल्लेखित सभी भुगतान वही स्वास्थ्य संस्थान के माध्यम से किया जाएगा जहाँ पर उनका प्रसव होगा। प्रायः देखा जाता है कि किसी गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व जाँच मायके में किया जाता है और उनका प्रसव ससुराल में होता है तो प्रसव वाले स्वास्थ्य संस्थान केवल 700 का भुगतान करते हैं जो कि पूर्णतः गलत है। सभी स्वास्थ्य संस्थान को निदेशित किया जाता है कि गर्भवती महिला को एक मुश्त 1400/- का भुगतान अंतिम प्रसव वाले संस्थान द्वारा किया जाएगा।

प्रायः यह देखा जाता है कि स्वास्थ्य संस्थान भुगतान हेतु गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं के फोटोग्राफ की मांग करते हैं। कड़ी सर्दी एवं लू के मौसम में नवजात शिशु के साथ प्रसूता महिलाएं फोटो के दुकान पर जाती हैं जो कि नवजात शिशु एवं महिला के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। फोटो की आवश्यकता संस्थानों को है न कि महिलाओं को इससे संबंधित कोई आवश्यक अहर्ता पूरी करनी है। अतः यह स्पष्ट निदेशित किया जाता है कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों में JBSY Administrative Expenditure से एक Digital Camera (10000/-) का क्रय कर संबंधित फोटोग्राफ अपने कम्प्यूटर में निम्नलिखित प्रारूप में संरक्षित करेंगे तथा इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस को एक हार्डडिस्क में संरक्षित कर रखेंगे। इसकी जवाबदेही संबंधित प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक की होगी। इसको मुद्रित कर संचिका में ऑडिट के लिए संरक्षित करें।

JSY Beneficiary Data Format						
Sr No.	Name of Mother	Pregnant Women Reg. No./ MCTS ID. No.	Photograph of Mother And child	Amount received by Mother	Cheque No.	Signature/ Thumb Impression*

* पूर्व से अंगूठे का निशान रजिस्टर पर लिया जा रहा है, जिसे Biometric मशीन के माध्यम से भी डिजिटल फॉरमेट में अंगूठे का निशान का रिकॉर्ड संधारित कर सकते हैं। यह Biometric(2000/-) मशीन (FMR Code: A.1.4.3) JBSY Administrative Expenditure मद से क्रय कर सकते हैं।

विशेष परिस्थिति में वित्तीय दिशा निर्देश -

गर्भवती महिला का प्रसव अस्पताल जाने के क्रम में हो जाती है तो सामान्य महिला लाभार्थी की तरह ही उक्त भुगतान राशि दी जा सकती है।

गर्भवती महिला (प्रसव के बाद) अथवा शिशु की मृत्यु हो जाती है तो इस परिस्थिति में भुगतान निम्न प्रकार देय होगा-

(क) गर्भवती माता की प्रसव के पश्चात अगर मृत्यु हो जाए तो भुगतान शिशु के पोषण हेतु देय है।

(ख) अगर मृत शिशु जन्म अथवा नवजात शिशु की मृत्यु हो तो भुगतान माता को पोषण हेतु देय है।

भुगतान की प्रक्रिया : महिला लाभार्थी को चेक के द्वारा भुगतान देय होगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)SHSB/MCH/04/07/5342, Date:-22/02/2008 (संलग्न)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : गौरव कुमार, उपनिदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 9431005972,



बिहार सरकार

Udai Singh Kumawat, IAS
Executive Director

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna - 800 014
Phone : 0612-2281544, 2281545, 2290321, 2290340
website : www.shsbihar.org, E-mail : info@shsbihar.org



File No. SHSB/MCH/04/07/5342

Date:- 22/02/2008.

To,
All District Magistrate/Civil Surgeon

Sub- Payment to JBSY beneficiaries through cheques

Sir,

It has been decided that henceforth payment to all beneficiaries under Janani and Bal Suraksha Yojana shall be made through bearer cheques only. It is proposed to start this facility by 14th March 2008. It is requested that all necessary arrangements regarding obtaining necessary number of Cheque Books from the concerned Banks and issuing of necessary directions to all hospitals where deliveries take place may be completed by 14th March 08 so that this activity may be started by that date.

Incentive payments of ASHA shall be continued to be made in form of cash as before.

Sincerely Yours

Sd/-

(Udai Singh Kumawat)

Memo No. 5342

Date:- 22/02/2008

Copy to:

Superintendent, All six Govt. Medical College Hospital (P.M.CH., N.M.C.H., D.M.C.H., A.N.M.C.H., J.L.N.M., C.H., S.K.M.C.H.).

(Udai Singh Kumawat)

(S Kumar)

for